

कार्यालय आदेश

दिनांक 17.11.2016 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड की 114वीं बैठक के मद सं० 114/4 पर लिये गये निर्णय के अनुसार मानचित्र शुल्क एवं वाहय विकास शुल्क की दरें निम्नवत होंगी -

पर्यवेक्षण/निरीक्षण शुल्क (भवन)	रु० 18.00 प्रति वर्ग मी०
पर्यवेक्षण/निरीक्षण शुल्क (ले-आउट)	रु० 8.00 प्रति वर्ग मी०
अम्बार शुल्क	रु० 40.00 प्रति वर्ग मी०
सुदृढीकरण शुल्क	रु० 85.00 प्रति वर्ग मी०
वाहय विकास शुल्क	रु० 770.00 प्रति वर्ग मी०

उपरोक्त दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

उपाध्यक्ष  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,  
मुरादाबाद।

पत्रांक सं०- 462(VIII) /मु०वि०प्रा०/नि०अ०/2016, दिनांक:- 09/12/2016  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपरसचिव, मु०वि०प्रा०, मुरादाबाद।
2. मुख्य अभियन्ता, मु०वि०प्रा०, मुरादाबाद।
3. मुख्य लेखाधिकारी, मु०वि०प्रा०, मुरादाबाद।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मु०वि०प्रा०, मुरादाबाद।
5. नगर नियोजक, मु०वि०प्रा०, मुरादाबाद।
6. प्रभारी प्रवर्तन-1, मु०वि०प्रा०, मुरादाबाद।
7. प्रभारी प्रवर्तन-2, मु०वि०प्रा०, मुरादाबाद।
8. संयुक्त सचिव, मु०वि०प्रा०, मुरादाबाद।
9. प्रभारी कम्प्यूटर को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाईल हेतु।

उपाध्यक्ष  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,  
मुरादाबाद।